कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर(चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 73/2015

1. स्व. रूपादेवी पत्नि मंगतुराम जाति मेघवाल निवासीनी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
2. गीतादेवी पुत्री मंगतुराम पत्नि प्रभू जाति मेघवाल निवासीनी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान

वदीगण

बनाम

1. भंवरी पत्नि धनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
2. संवरमल पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
3. क्मल पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
4. ओमप्रकाश पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
5. लिछमा देवी पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासीनी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
6. परमेश्वरी पत्नि मामराज जाति मेघवाल निवासीनी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
7. राकेश पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
8. संतोष देवी पुत्री मामराज जाति मेघवाल निवासीनी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
9. धापूदेवी पुत्री मामराज जाति मेघवाल निवासीनी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
10. परूदेवी पुत्री मामराज जाति मेघवाल निवासीनी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
11. मूलचन्द पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
12. ओमीचन्द पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयों की तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
13. फुलाराम पुत्र झमकू पत्नि खेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धनेरू हाल ढाणी धेलपालिया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकोनर राजस्थान
14. संतोष देवी पुत्री झमकू पत्नि खेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धनेरू हाल ढाणी धेलपालिया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकोनर राजस्थान
15. सुमन पुत्री भगवानी पत्नि सुमेर जाति मेघवाल निवासी ग्राम खाबड़ियाना तहसील जायल नागौर राजस्थान
16. संतोष भगवानी पत्नि सुमेर जाति मेघवाल निवासी ग्राम भींवसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

17. अशोक पुत्र भगवानी पत्नि सुमेर जाति मेघवाल निवासी ग्राम बैनाथा पहला तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
18. राजू पुत्री भगवानी पत्नि सुमेर जाति मेघवाल निवासी ग्राम बैनाथा पहला तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
19. शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

"दावा घोषणात्मक रेकार्ड संशोधन एंव

चिरनिषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति अन्तर्गत

धारा 88, 92ए, 53, 188 आरटी एक्ट"

उपस्थित :–

1. रघुवीर भांभू एडवोकेट – वास्ते वादी
2. प्रतिवादी संख्या 19– पेरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 19-2-25

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के पति पिता एंव प्रविादीगण संख्या 1 ता 18 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के साबिका खेत खसरा नंबर 07 रकबा 20 बीघा रोही घंटियाल छोटी जिसके वर्तमान खसरा नंबर 8 रकबा 13 बीघा 09 बिश्वा, खसरा नंबर 22 रकबा 06 बीघा 03 बिश्वा वाके रोही ढाणी स्वामीयान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जो आज दिन संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है जिसमें वादीनीगण के पति पिता मंगतूराम का 1/3 हिस्सा एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के पिता पति धनाराम का 1/3 हिस्सा एंव प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के पति पिता मामराज का 1/3 हिस्सा कि संयुक्त खातेदारी चली आ रही है जो पैतृक सम्पती के खेत है जो हमारे पति पिता मंगतूराम के खातेदारी के समय से चली आ रही है।

वादगत खेत वादीनीगण के पति पिता एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के ससुरर, दादा एंव प्रतिवादी संख्या 13 ता 18 के नाना मंगतूराम एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पति पिता धनाराम एंव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पति पिता मामराज के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के थे।

वादगत खेत वादीगण के पति पिता मंगतुराम एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पति पिता धनाराम प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पति पिता मामराज ने पूर्व खातेदार मोडूराम पुत्र भूराराम जाति चमार निवासी दडीबा से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27/01/1967 के द्वारा संयुक्त रूप से खरीद किया जिसकी खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 के पति पिता एंव नाना मंगतूराम के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्सा खातेदारी नामान्तरण संख्या 2 के द्वारा अंकित हुई।

वादगत खेत वादीगण के पति पिता एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के ससुर दादा एंव प्रतिवादी संख्या 13 ता 18 के नाना मंगतुराम एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पति पिता धनाराम एंव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पति पिता मामराज के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के थे।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

मंगतुराम का स्वर्गवास करिबन 36 वर्ष पूर्व हुआ। वादगत खेत वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के पैत्रिक खेत है। स्व. मंगतुराम के 1/3 हिस्सा की खातेदारी में वादीगण प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 वा 14 का संयुक्त 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 का संयुक्त 1/18 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का संयुक्त 1/18 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का संयुक्त 1/18 हिस्सा मगतुराम के फौत होते ही कायम हो गया। मंगतुराम के फौत होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पति पिता धनाराम व मामराज ने राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर बाला बाला साजिसाना तौर पर गलत एंव खिलाफ कानून मंगतुराम के 1/3 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करा ली। वादगत खेत धनाराम व मामराज के स्व उपार्जित सम्पति नहीं होकर पुश्तैनी खेत है जिसके पूर्ण मालिक धनाराम व मामराज कभी नहीं रहे। वादगत खेतों को वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 संयुक्त रूप से काश्त कर फसल का बंटवारा करते आ रहे है। धनाराम व मामराज ने वादीगण से बाला बाला राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करवाया है वो भी वादीगण के मुकाबले गलत शुन्य व निष्प्रभ है मौके पर वादगत खेतों का विधिवत (By Mits and Bounds) के आधार पर कभी भी विभाजन नहीं हुआ। मौके पर आज भी वादगत खेत एकल है बीच में कोई सींव वगैरह नहीं है। वादीगण के पति पिता मंगतुराम के स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेतों की खातेदारी उसके 1/3 हिस्से की धनाराम व मामराज को प्राप्त हुई जो वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 की संयुक्त परिवार की पैत्रिक कौपार्सनरी सम्पति के है। मंगतुराम के फौत होते ही उसके 1/3 हिस्सा की खातेदारी में वादीगण प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा कायम हो गया। इसलिए वादगत खेतों में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के साथ साथ वादीगण प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा बन जाता है। वादगत खेतों में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का संयुक्त 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का संयुक्त 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 वा 14 का संयुक्त 1/18 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 का संयुक्त 1/18 हिस्सा के अंशधारी है। वादगत खेतों की खातेदारी मंगतुराम के स्वर्गवास के पश्चात उसकी 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पति पिता धनाराम व मामराज कर्ता खानदान होने के कारण अंकित हुई इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वादगत खेतों में मंगतुराम के 1/3 हिस्सा की खातेदारी में अपना अपना 1/18–1/18 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने के कानूनी अधिकारी है। क्योंकि वादगत खेत की वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के संयुक्त परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सपति के है।

वादगत खेत ख0 न0 8 तादादी 13 बीघा 09 बिश्वा ख0 न0 22 तादादी 6 बीघा 03 बिश्वा वाके रोही ढाणी स्वामीयान में स्थित है जिसमें वादीगण के पति पिता मंगतुराम के 1/3 हिस्सा की खातेदारी मे वादीगण प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा नियत है प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का संयुक्त 1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं0 6 ता 12 का संयुक्त 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 व 14 का संयुक्त 1/18 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 15 ता 18 का सयुक्त 1/18 हिस्सा है। वादगत खेतों में वादीनीगण प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा नियत है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में पृथक दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (राज.)

वादगत खेत वादीनीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 18 के सयुक्त परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के है जिसमें वादीगण के पति पिता मंगतुराम का 1/3 हिस्सा में वादगण प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा नियत है वादगत खेतों का अभी विधिवत विभाजन नही हुआ है प्रतिवादी सं0 1 ता 12 के नाम वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित होने के कारण किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण ने कई प्रभावशाली व्यक्तियों से सांठ गांठ कर वादीगण के खिलाफ नाजायज गिरोह बना लिया है इसलिसे वादीनीगण बलपूर्वक मुकाबला करने मे असमर्थ है इसलिये प्रतिवादीगण को न्यायालय के जरिये चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित करवाया जाना आवश्यक हो गया कि वोह वादीगण के सयुक्त परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के खेतों का जब तक विधिवत (By Mits and Bounds) के आधार पर विभाजन नही हो जाता तब तक वादगण खेतों के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तान्तरण वसीयत रहन बैय नही करें। इस दोषपूर्ण कृत्य में यदि प्रविादीगण को नही रोका गया तो वादीगण को अपुर्तिय क्षति होगी जिसकी पुर्ति किसी भी सुरत में पूर्ण नही हो पावेगी। प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे कि वोह वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की भ्भूमि को काश्त करने से न रोके न उसका जबरन हिस्से पांति की भूमि से बेदखल करे ना ही एसा काई तर्क या फैल करें सिसे वादीगण के वैध कानूनी अधिकारों पर विपरीत असर पडे। वादीनीगण ने प्रतिवादीगण को वादगत खेतो को विक्रय हस्तान्तरण न करने बाबत व वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज करवाकर संशोधन करवाने की आपसी तौर पर निवेदन किया लेकिन अंतिम बार दिनांक 22,08,2015 को ऐसा करने से वोह साफ इन्कार हो गये अतः यही दावे का कारण है तथा वादीगण को वादाधार वादगत उनके पति पिता के खातेदारी कब्जा काश्त के होने से तथ वादगत खेत में वादीगण की संयुक्त अविभाजित 1/18–1/18 हिस्सेदार होने से तथा सयुक्त कब्जा काश्त होने से प्राप्त है।

पत्रावली पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई वा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तलबी जारी होने के पश्चात प्रतिवादीगण हाजीर आये जो प्रतिवादीगण हाजीर अदालत उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। किसी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा राजहीत निहीत नहीं होने का जवाब पेश किया गया। किसी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं होने के कारण तनकीयात् कायम नहीं की गई। तत्पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 की ओर से कोई हाजीर नहीं होने वा दौराने विचारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीनी संख्या 01 स्व. रूपा देवी कि दौराने दावा मृत्यू हो जाने के कारण उनके नाम की जगह उनके विधिक वारीसान् रेकार्ड पर पूर्व में होने के कारण उनके नाम के आगे स्वर्गीय शब्द अंकित किया गया। वादीनी संख्या 02 ने अपने दवा को आगे चलाने का निवेदन किया जाकर वादीनी ने अपने साक्ष्य हेतु आप स्वयं गीता देवी वा दो गवाह, तुललछाराम व कोजाराम ने हाजीर अदालत उपस्थित होकर साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये जिसमें अपने हस्ताक्षर को ए ता बी होना स्वीकार कर शपथ पत्र को सही माना। वादीनी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जो प्रर्दश 1 ता 10 पेश कर प्रर्दश करवाये वा वादीनी ने अपना घोषणात्मक रेकार्ड संशोधन व विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा का दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया गया। वकील वादीनी की बहस सुनी गई व प्रस्तूत दस्तावेज व वादीनी के बयानों का भली भांती अवलोकन किया जिसे यह प्रमाणीत है कि वादीनीगण वादगत खेत खसरा संख्या 8 तादादी 13–09 बीघा व खेत खसरा संख्या 22 तादादी 06–03 बीघा वाके रोही ढाणी स्वामीयान तहसील बीदासर जिला चूरू की 1/3 हिस्सा वादीनीगण के पति पिता मंगतूराम की खरीदशुदा भूमि है जिसके वादीनीगण प्रत्येक का 1/18 हिस्सा नियत होता है लेकिन वादीनी संख्या 01 की दौराने दावा मृत्यू हो जाने के कारण उसका 1/18 हिस्सा भूमि उसके विधिक वारीसानों में मुताबिक हिस्सा मर्ज किया जाना उचित है वा वादीनी संख्या 02 गीता देवी का उक्त भूमि में अपने पिता मंगतूराम का 1/3 हिस्सा भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि की खातेदार है। वादीनीगण का वाद इस प्रकार स्वीकार कर किया जाना उचीत है कि वादगत खेत खसरा नं. 8 तादादी 13–09 बीघा व खेत खसरा संख्या 22 तादादी 06–03 बीघा वाके रोही ढाणी स्वामीयान में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन इस प्रकार किया जावे कि वादिनी गीता देवी के हिस्सा भूमि 01 बिघा 06 बिश्वा धनाराम व मामराज के वारीसानों यानी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की 13 बिश्वा भूमि कम करते हुए व प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 जो स्व. मामराज के वारीसान् है कि भूमि में से 13 बिश्वा भूमि कम करते हुए वादीनी कि 01 बिघा 06 बिश्वा भूमि कुल भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज की जानी उचित है। शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 का मुताबिक हिस्सा दर्ज किया जावे व मुताबिक कब्जा काश्त के खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जाना उचित है।

आदेश

वादीनी का वाद प्रारंभिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नं. 8 तादादी 13–09 बीघा व खेत खसरा संख्या 22 तादादी 06–03 बीघा वाके रोही ढाणी स्वामीयान तहसील बीदासर जिला चूरू में वादीनी संख्या 02 गीता देवी पुत्री मंगतूराम पत्नि प्रभू जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयान् तहसील बीदासर जिला चूरू का उसके पिता मंगतूराम की 1/3 हिस्सा भूमि में 1/5 हिस्सा यानी 01 बीघा 06 बिश्वा भूमि की वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। वादीनी संख्या 02 गीता देवी का हिस्सा भूमि राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। इस प्रकार प्रारंभिक डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 19-2-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, चूरू